

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
OLD SECRETARIAT, DELHI-54
(QUESTIONS BRANCH)

No.F.12(A-5)/2020-25/QB/LAS/ 2988-93

Dated: 15/03/2022

To

Sh.Mohan Singh Bisht,
Hon'ble MLA,
Delhi Vidhan Sabha.

**Sub: Forwarding of revised reply to Vidhan Sabha Un-Starred Question
No. 64 dated 03.01.2022—regarding.**

Sir,

Kindly refer to the subject cited above. In this connection, I am directed to forward herewith revised reply to Vidhan Sabha Un-starred Question No.64 dated 03.01.2022 as received from the Irrigation & Flood Control Department vide letter No.F.CEF/SSW/VSS/2021/7260-63 dated 10.03.2022, for your kind information.

This issues with the prior approval of the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly.

Yours faithfully,

Encl:As above


(Neeraj Aggarwal)


Dy. Secretary (Questions & Committees)

Dated: 15/03/2022

No.F.12(A-5)/2020-25/QB/LAS/ 2988-2993

Copy forwarded to :-

1. The Secretary to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly.
2. PS to the Secretary (LAS), Delhi Legislative Assembly.
3. The Deputy Secretary (Reporting) with the request to replace the same in the record of debates of the proceedings of the house held on 03.01.2022.
4. The System Analyst, Delhi Legislative Assembly with the request to upload the reply in the official website of Delhi Legislative Assembly by replacing the previous reply to the question under reference.
5. The Nodal Officer, Irrigation and Flood Control Department Govt. of NCT of Delhi, LM Bund Office Complex, Shastri Nagar, Delhi-31.


(Neeraj Aggarwal)
Dy. Secretary (Questions & Committees)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार
एल. एम. बन्ध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर,
दिल्ली -110031


अतारांकित प्रश्न संख्या - 64

दिनांक 03/01/2022

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र.स.	अता. प्रश्न	उत्तर
क)	करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने नालों के माध्यम से गंदे पानी की निकासी की जाती है;	करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीन निम्नलिखित नालों के माध्यम से गंदे पानी की निकासी की जाती है- 1) एस्कैप ड्रेन नं0-1, 2) करावल नगर ड्रेन, 3) बन्ध ड्रेन 4) बिहारीपुर ड्रेन 5) रिलिफ ड्रेन
ख)	क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत नालों पर अनाधिकृत कब्जे हैं;	इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है तथापि माननीय विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट जी का शिकायत पत्र जोकि बन्ध ड्रेन पर अनाधिकृत कब्जे के विषय में था तथा ई-मेल द्वारा महामहीम उपराज्यपाल जी को प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र महामहीम उपराज्यपाल जी के कार्यालय के पत्र दिनांक 03/09/2020 (Annexure-A) के द्वारा उचित माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था। जिसके सम्बन्ध में कब्जे की पुष्टि हेतु सिंचाई एवम् बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा दिनांक 15/09/2020, जिलाधिकरी, उत्तर-पूर्व जिला तथा पत्र दिनांक 09/10/2020, 13/10/2020 एवम् 27/10/2020 (Annexure-B) को बन्ध ड्रेन की वर्ष 2010-2011 में की गयी पैमाइश की रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु/पैमाइश कराने हेतु एसडीएम (करावलनगर) को निवेदन किया गया था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट, करावलनगर की पत्र संख्या TEH/KN/2021/877 दिनांक 18/03/2021 (Annexure-C) के द्वारा पैमाइश हेतु रुपये 3,18,600/- मैसर्स एन के इन्जीनियर्स के पक्ष में डी0डी0 अथवा चैक द्वारा जमा कराने के लिए निवेदन किया गया था। तदोपरान्त इस कार्यालय की पत्र संख्या EE/CD-IV/Misc/2021-22/383-84 दिनांक 05/06/2021 (Annexure-D) के द्वारा प्रस्तावित रुपये 3,06,828/- को चैक संख्या 938367 के द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, करावलनगर के कार्यालय में जमा कर दिया गया था। उपरोक्त के दृष्टिगत ए.डी.एम. जिला उत्तर-पूर्व की बैठक के कार्यवृत्तांत दिनांक 14/12/2021 (Annexure-E) को निर्णय लिया गया कि "सम्पूर्ण ड्रेनों के क्षेत्र तथा सरकारी भूमि एवम् ड्रेन के साथ अनाधिकृत कब्जे के लिए (यदि कोई है) की विस्तृत कार्य योजना की रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।" जोकि प्रतीक्षा में है। राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त उत्तर (Annexure-F) संलग्न है।
ग)	यह हाँ तो क्या यह भी सत्य है कि नालों पर कब्जा होने की वजह से करावल नगर की अधिकतर कॉलोनियों में गंदे पानी से जलमग्न की स्थिति है; और	उपरोक्त।
घ)	यदि हां तो इन नालों पर अनाधिकृत निर्माण द्वारा किये गए कब्जों को न हटाये जाने के क्या कारण हैं तथा इन अनाधिकृत कब्जों को कब तक हटा दिया जायेगा ?	उपरोक्त।


Executive Engineer
Civil Division-IV
& Flood Control Deptt.
Govt. of Delhi, Delhi